संख्या– 106 /VI-2/2011–2(8)2009

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 14 मार्च, 2011

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में आडिटोरियम के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2326/सं0नि0उ0/दो–3(प्रेक्षा0)/2010–11 दिनांक 06 जनवरी, 2011 एवं शासनादेश संख्या–116/VI–1/2008–2(1)2007 दिनांक 24 मार्च, 2008 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उत्तरकाशी में आडिटोरियम के निर्माण हेतु संस्तुत धनराशि ₹ 199.36 लाख मात्र के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में धनराशि ₹ 40.00 लाख मात्र के उपरान्त अवशेष बची धनराशि ₹ 159.36 लाख के सापेक्ष द्वितीय किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2010–11 में ₹ 25.00 लाख (₹ पच्चीस लाख) मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जाय जितनी धनराशि का व्यय दिनांक 31–3–2011 तक हो सके। धनराशि कार्यदायी संस्था को पार्किंग होने की दशा में पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

3. उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों में यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। ऐसे व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। किसी भी दशा में धनराशि आहरण परिव्यय एवं बजट से अधिक न किया जाय।

4. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

Budget 10-11

5. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

8. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनज़र रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

9. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

10. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाय।

11. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

12. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सभी कार्यो के लिए सक्षम स्तर से प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

14. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

16. आडिटोरियम के रख–रखाव हेतु पद का वृजन नहीं किया जायेगा तथा उक्त की व्यवस्था भी जिलाधिकारी द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11, अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04–कला और संस्कृति–800–अन्य व्यय 03–सांस्कृतिक परिषद कला केन्द्र/विद्यालय/आडिटोरियम आदि का निर्माण–00 –24–वृहद निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

18. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या–1046(पी)/XXVII(3)/2010 दिनांक–09 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या /66 /VI-2/2011–2(8)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।